सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार-अधिनियम-2005 की धारा 6(1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध

2330 Processed 12/06/2024

सेवा में,

राज्य लोक सूचना अधिकारी का पदनाम और कार्यालय का पता – कार्यकारी निदेशक (उ०क्षे०-1) पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड - उ०क्षे० 1 - मुख्यालय SCO बे० सं० - 5-10 से० 16-A, फरीदाबाद हरियाणा - 121002

1. आवेदक का पूरा नाम ....विनोद कुमार-....

2. पिता/पति का नाम ....स्व० श्री० – बारूसिंह....

3. पता ....ग्राम - नन्दी, पो० - नन्दी फिरोजपुर, जिला - सहारनपुर (उ०प्र०) 247001....

4. ई-मेल पता, यदि हो ....vjvinod0707@gmail.com....

5. दूरभाष संख्या और या मोबाईल संख्या ....8394014521....

6. माँगी गयी सूचना का ब्यौरा (यदि आवश्यक हो तो पृथक पृष्ठ भी संलग्न करें) ....मुझ प्रार्थी द्वारा दिनांक 26/2/2024 को एक शिकायती पत्र भेजा गया था, इसके सन्दर्भ मे आज तक आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है उसकी प्रमाणित जानकारी देने की कृपा करें -....

7. क्या वांछित सूचना व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है। हाँ/नहीं तो उसका कारण

....NO....

8. जमा की गयी फीस का ब्यौरा ....दस (10) रु० का नोट - No - 36R-721922

9. क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) की श्रेणी का है? हाँ/नहीं तो बी.पी.एल. प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

10. संलग्नकों की सूची ....चार (04) 1- 10 रु० का नोट, - 36R-721922 ....3 आवेदन पत्र =....

स्थानः ....सहारनपुर....

दिनांकः ....26/5/24....

Vinod Kumar

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

पावती

श्री .... निवासी .... से दिनांक .... को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अधीन सूचना की मांग हेतु आवेदन पत्र जो क्रमांक .... पर पंजीकृत है, प्राप्त किया।

राज्य लोक सूचना अधिकारी का
हस्ताक्षर और पूरा नाम

दिनांक ....

प्राधिकारित मुद्रा

सेवा मे,

[redacted]

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना एवं अभियांत्रिकी)
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आफ इण्डिया
उ0क्षे0 1, मुख्यालय
एस0सी0ओ0 बे, संख्या 5–10 सेक्टर 16 ए
फरीदाबाद हरियाणा– 121002

विषय– पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आफ इण्डिया सहारनपुर द्वारा 132 के0वी0 डी0/सी0 – जगाधरी–टपरी पारेषण लाईन के नीचे प्रभावित किसानों के खसरा नं0 104 से 107 में पेडों के नुकसान की प्रतिपूर्ति में दिए गए मुआवजा राशि की अनियमितता के सम्बन्ध में।

महोदय,

मेरे ग्राम नन्दी में सुखवीर सिंह पुत्र स्व0 दलमीर सिंह के नाम का एक व्यक्ति है जो अपने आपको किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष बताकर जिले के सभी अधिकारियों पर रोब गालिब करता है तथा उनको धमकाता है व अधिकारियों के खिलाफ उन्हीं के आफिस के बाहर धरना देना शुरू कर देता है जिससे अधिकारियों में भय का माहौल व्याप्त है। इसी का नतीजा है कि पावर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि0 द्वारा उक्त 132 के0वी0 डी0/सी0 जगाधरी–टपरी पारेषण लाईन बनायी गयी है जिसके नीचे खसरा नं0 104 से 107 में रफल सिंह पुत्र दलमीर सिंह के युकेलिप्टिस के 18 पेड (4–6 वर्ष) व पोपुलर के 154 पेड (3–5 वर्ष), सुखबीर सिंह पुत्र दलमीर सिंह के युकेलिप्टिस के 18 पेड (4–6 वर्ष) पोपुलर के 154 पेड (3–5 वर्ष), सर्वेश कुमार पुत्र कँवरपाल के पोपुलर के 85 पेड (3–5 वर्ष) यानि कुल 419 पेड प्रभावित होने दर्शाये गए है तथा इनकी नुकसान की प्रतिपूर्ति में रफल सिंह के 5,60,954/– रूपये, सुखवीर सिंह को 5,60,954/– रूपये व सर्वेश कुमार को 1,70,595/– रूपये मुआवजे के तौर पर दिये गये है। महोदय उक्त चारों खाता सं0 (104 से 107) के साथ खसरा न0 100 व खसरा नं0 102 भी हैं। ये दोनों खसरा नं0 ढमोला नदी (खाला) के हैं। इन दोनों खसरा नं0 पर सुखवीर सिंह का अवैध कब्जा है और उपरोक्त पेड भी जो उक्त किसानों ने अपने होने दर्शाएं हैं वे अधिकतर पेड खसरा नं0 100 व 102 में ढमोला नदी की जमींन में थे जो कि सरकारी सम्पत्ति है।

उक्त किसानों ने जो समस्त 419 पेड अपनी जमीन खसरा नं0 104 से 107 में लाईन के नीचे दर्शाएं हैं, उक्त किसानों के उक्त खसरा नं0 104 से 107 संयुक्त खातेदारों के रूप में, जिनमें 15 (पन्द्रह) किसान सम्मिलित हैं। उक्त लाईन के नीचे खसरा नं0 104 से 107 में से रफल सिंह, सुखवीर सिंह व सर्वेश कुमार के हिस्से में इतनी जमींन नहीं आती है कि उसमें लाईन के नीचे प्रभावित होने वाले क्षेत्र में 419 पेड लग सके जो कि कहीं न कहीं वित्तीय अनियमितता की ओर इशारा करता है। इन 419 पेडों में से अधिकतर पेड खसरा न0 100 व 102 में थे जो सरकारी पेड थे लेकिन सुखवीर सिंह पुत्र दलमीर सिंह ने सांठगांठ करके इन पेडों का भी मुआवजा ले लिया है।

महोदय सूचना के अधिकार अधिनियम के तहर मांगी गयी सूचना (जो संलग्न है) में यह दर्शाया गया है कि इन किसानों (सुखवीर सिंह, रफल सिंह, व सर्वेश) को खसरा नं0 31 व 32 का मुआवजा दिया गया है। जबकि वास्तविकता में खसरा न0 31 व 32 इन किसानों के नहीं है। जब ये खसरा न0 इन किसानों के नहीं है तो इनको इनका मुआवजा कैसे दिया गया है? इनके खाते सह खातेदारों के साथ खसरा नं0 104 से 107 तक अभिलेखों में दर्ज हैं।

अतः महोदय से निवेदन है कि इस मुआवजा राशि में बहुत बडे स्तर की आर्थिक अनियमितता हुई है। इसकी जाँच जिले के किसी उच्चाधिकारी से करायी जाये व दोषियों के खिलाफ जाँच करके उनसे उक्त धनराशि की रिकवरी की जाये।

दिनांक– 26.02.2024

Vinod Kumar

प्रार्थी

विनोद कुमार
पुत्र बारू सिंह
निवासी ग्राम नन्दी फिरोजपुर
तहसील व जिला सहारनपुर
मो0– 8394014521

भारतीय रिज़र्व बैंक
36R 721922
दस रुपये
RESERVE BANK OF INDIA
GUARANTEED BY THE CENTRAL GOVERNMENT
I PROMISE TO PAY THE BEARER THE SUM OF TEN RUPEES
GOVERNOR
₹10
MAHATMA GANDHI
36R 721922

₹10
RESERVE BANK OF INDIA
TEN RUPEES
2023
दस रुपये
स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
भारतीय रिज़र्व बैंक
SUN TEMPLE, KONARK
₹10

रजिस्टर्ड

RU132282420IN

सेवा मे,

कार्यकारी निदेशक (उ० क्षे० 1)

प्रथम अपीलीय अधिकारी

पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड उ० क्षे० 1.

मुख्यालय - SCO बे० सं० 5-10 सेक्टर-16A फरीदाबाद

(हरियाणा) 121002

फो० नं० - 0129- 2666301

पावरग्रिड/POWERGRID
उ क्षे-1/NR-1
12 JUN 2024
प्राप्ति किया/RECEIVED
फरीदाबाद/FARIDABAD

1042

प्रेषक - विनोद कुमार S/o बालसिंह

ग्राम- नन्दी, पो० - नन्दी फिरोजपुर

जिला- सहारनपुर

8394014521

भारतीय डाक
India Post

Del PO:Rampur SO Saharanpur <247451>

RU132282420IN
Counter No:1,08/06/2024,10:52

Amt:25.96,Wt:14gms,Amt.Paid:26.00(Cash)
,REG=17.0

From:NFCM SAHARANPUR RMS <247001>
From: Hub
To: Hub